# "सार्वजनिक सूचना"

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत संघ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य के रूप में विशेष अपील (सी) संख्या 8519/2006 में पारित दिनांक 29.09.2009 के आदेश के तहत निर्देश दिया गया कि उस तिथि के बाद सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक पार्को या सार्वजनिक स्थानों आदि पर मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरूद्वारा आदि के नाम पर कोई अनाधिकृत निर्माण नही किया जाएगा या अनुमति नही दी जाएगी और प्रारंभिक रूप से रिपोर्ट मांगने और कार्यान्वयन की निगरानी के बाद दिनांक 31.01.2018 के आदेश के तहत मामलों को प्रभावी तरीके से अपने आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित उच्च न्यायालय को भेज दिया है।

उच्च आदेशों की पालना में सरकारी भूमि, ग्रीनबेल्ट, सरकारी पार्क, सड़क, फुटपाथ इत्यादि पर बने अवैध धार्मिक संस्थान, स्ट्रक्चर, भवन आदि को तुरन्त प्रभाव से हटा लें अन्यथा सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानूनी कार्यवाही करते हुए उपरोक्त भवनों को तोड–फोड़ कर हटा दिया जाएगा, जिसमें होने वाले हर्जा–खर्चा के लिए उपरोक्त संस्थानों को चलाने वाले अनुयायी स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित के विरूद्व दण्डात्मक एवं न्यायालय के आदेशों की अवमानना की कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।

–ह0–
आयुक्त,
नगर निगम, पानीपत।